राजस्थान सरकार

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1.चिमनाराम पुत्र हिमथाराम 2.बन्नाराम 3.धन्नाराम पि. चिमनाराम, जाति जाट निवासी गांधीनगर,आलमसर तहसील चौहटन	1.टीकमाराम पुत्र हिमताराम, जाति जाट निवासी गांधीनगर, आलमसर 2.तहसीलदार चौहटन।

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न 03/2020

15.01.2020 प्रार्थीगण के वकील श्री नरेश भादू ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वो तहसील चौहटन के मौजा गांधीनगर (आलमसर) के खसरा सं. 855/464 रकबा 66.00 बीघा, खसरा सं. 856/464 रकबा 24.00 बीघा, खसरा सं. 854/464 रकबा 83.04 बीघा भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम तहसीलदार चौहटन को जारी हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 19.02.2020 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

27/01/20 पत्रावली आज तलब की गई। प्रार्थीगण मय वकील उपस्थित। चूंकि मूल वाद विड्रो किया चुका है। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Hear स्टे वापस हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
चौहटन

आ.नि. चिमनाराम
बन्नाराम
धन्नाराम
आ.नि. टीकमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2020.02.10 11:31:32 IST
Reason: SelfAttested